प्रेस नोट 16.01.2021

धोखाधड़ी कर एटीएम का क्लोन बनाकर खाते से पैसे निकालने वाला एक शातिर गिरफ्तार, कब्जे से 03 क्लोन एटीएम कार्ड, धोखाधड़ी कर निकाले हुए 58 हजार रूपये बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.01.2021 को थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर शहीद इन्टर कालेज कटघरा शंकर के पास से एक शातिर अम्बेश उर्फ अमरेश कुमार पुत्र खरपत्तू निवासी कुकुड़ीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के कब्जे से 03 अदद कूट रचित एटीएम कार्ड, धोखाधड़ी से निकाले गये 58 हजार रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/21 धारा 41,411,419,420,467,468,471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग धोखाधड़ी कर एटीएम का क्लोन तैयार करते है। हम लोग धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड या तो बदल लेते है या स्कैन मशीन से उसका डेटा स्कैन कर लेते है। हम लोग अपने पास स्कैनर, मिनी डीएस–5 व लैपटाप रखते है। अपने साथियों के बारे में पूछने पर बतया गया कि मेरे दो अन्य साथी क्रमशः राकेश यादव पुत्र योगेन्द्र यादव निवासी समरूआ थाना हलधरपुर जनपद मऊ व सोनू यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी लखन्सिया थाना भीमपुरा जनपद बलिया है।

जब पूर्व में कारित घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उक्त के द्वारा बताया गया कि हम लोग देहात के एटीएम व ग्रामीण व्यक्तियों के साथ जादा धोखाधड़ी करते है। हमारे द्वारा मर्यादपुर, नन्दौर व इब्राहिम पट्टी क्षेत्रो में जादा घटनाये कारित की जाती है। इनके द्वारा नन्दौर के एटीएम से क्लोन कर रूपये निकाले गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना मधुबन पर मु0अ0सं0 701/20 धारा 66 डी आइटी एक्ट पंजीकृत है। इनके द्वारा दिनांक 13.01.2021 को मर्यादपुर के एटीएम से पैसे निकाले गये है जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु0अ0सं0 03/21 धार 420 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत है। इनके द्वार जनपद बलिया में भी घटना कारित की गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना भीमपुरा पर मु0अ0सं0 06/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। इनके द्वारा अन्य भी कई घटनाए कारित की गयी है जिसका पता लगया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अम्बेश उर्फ अमरेश कुमार पुत्र खरपत्तू निवासी कुकुड़ीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

बरामदगी–

1. 03 अदद क्लोन एटीएम कार्ड

2. धोखाधड़ी से निकाले गये 58 हजार रूपये।

वांछित अभियुक्त–

1. राकेश यादव पुत्र योगेन्द्र यादव निवासी समरूआ थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. सोनू यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी लखन्सिया थाना भीमपुरा जनपद बलिया

गिरफ्तरकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक मधुबन संजीव कुमार दुबे, उ0नि0 रामसकल यादव, का0 हरेन्द्र पटेल, का0 रवि कुमार, का0 अवनीश कुमार, का0चा0 बसन्त यादव **(थाना मधुबन)**।

पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित शातिर गैंगेस्टर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्टल (9 एमएम) एवं कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.01.2021 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिगाड़ी मोड़ के पास खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर पिस्टल से फायर करते हुये भागने लगा। इस दौरान मौजूद पुलिस बल द्वारा तत्परता दिखाते हुये घेरकर पकड़ लिया गया तथा उक्त पिस्टल व 02 खोखा कारतूस को बरामद किया गया। पूछताछ में उक्त द्वारा अपना नाम अभय यादव उर्फ बड़काई पुत्र दुर्गविजय निवासी सुल्तानपुर कोलौरा थाना मुहम्मदाबाद मऊ बताया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 729/20 धारा 3(1) गैं0 एक्ट एवं मु0अ0सं0 807/20 धारा 307,120बी,34 भादवि में फरार वांछित अभियुक्त है। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 23/21 धारा 307 भादवि व 24/21 धारा 3/7/25 भादवि पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. अभय यादव उर्फ बड़काई पुत्र दुर्गविजय निवासी सुल्तानपुर कोलौरा थाना मुहम्मदाबाद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद अवैध पिस्टल 9 एमएम व 02 खोख कारतूस।

अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 101/20 धारा 392,411 भादवि थाना कोपागंज।
2. मु0अ0सं0 101/20 धारा 392,411 भादवि थाना मुहम्मदाबाद।
3. मु0अ0सं0 130/20 धारा 307 भादवि थाना मुहम्मदाबाद।
4. मु0अ0सं0 729/20 धारा 3(1) गैं0 एक्ट थाना मुहम्मदाबाद।
5. मु0अ0सं0 807/20 धारा 307,120बी,34 थाना मुहम्मदाबाद।
6. मु0अ0सं0 23/21 धारा 307 भादवि थाना मुहम्मदाबाद।
7. मु0अ0सं0 24/21 धारा 3/7/25 भादवि थाना मुहम्मदाबाद।

02 किलो 660 ग्राम नाजायज गांजा के साथ दो शातिर तश्कर गिरफ्तार–

दिनांक 15.01.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर शाहजादापुर रनवा पिजड़ा के पास से अरविंन्द कुमार दुबे पुत्र रवीन्द्र दुबे निवासी शाहजादापुर रनवां पिजड़ा थाना सरायलखंसी, मुकेश कुमार पुत्र शिवपूजन राम निवासी हरपुर बिलचापुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ दानों के कब्जे से 02 किलो 660 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 21,22/21 धारा 8/20 एनडीपीए एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 16.01.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 486/20 धार 354,323,504,506 भादवि0 व 17/18 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त बन्नी पुत्र मून्ना निवासी तरवाडीह दरारी थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/21 धारा 354,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अफजल उर्फ छोटु पुत्र मो0 अजर निवासी करीमाबाद इन्दारा थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 35/21 धारा 294,354घ,504,506

भादवि0 में वांछित अभियुक्त कृष्णा पुत्र रामायाण निवासी राधोपट्टी निवासी सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 22 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 16.01.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा राकेश, बबलू निवासीगण हुसैनाबाद थाना चिरैयाकोट, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा रामनिवास निवासी बुढ़ावर, रम्मन, बीरेन्द्र पाल, ओमप्रकाश पाल निवासीगण गोठा थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा झिन्नत, बादल निवासीगण बलुआ पोखरा सराय सादी थाना घोसी, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा गोविन्द, वीरेन्द्र निवासीगण जयरामगढ़, हरेन्द्र निवासी हलधरपुर, सतीष कुमार निवासी देवकली थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा प्रदीप वर्मा निवासी सस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा सुनील कुमार निवासी कुतुबपुर मकरी, मारकण्डेय, शैलेष निवासीगण बारा थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा स्वप्निल, सुभम, वृजेश, सुनील निवासीगण काझा, संजू कुमार निवासी खीरखाड़ थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा अंकुर निवासी हथिनि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।